न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 219/2019

1. सिंडिकेट बैंक शाखा दौसा जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री शगुन चन्द बोहरा।

प्रार्थी

बनाम

ऋण खाता (अ)
मैसर्स सूरज ऑयल प्रो. श्रीमति राधादेवी रावत पत्नि श्री राम गोपाल रावत
गारन्टर
1. श्री सुशील रावत पुत्र श्री राम गोपाल रावत
2. श्री भरत रावत पुत्र श्री राम गोपाल रावत

ऋण खाता (ब)
मैसर्स एस आर इण्डस्ट्रीज प्रो. श्री भरत रावत पुत्र श्री राम गोपाल रावत
गारन्टर
1. श्रीमति राधादेवी रावत पत्नि श्री राम गोपाल रावत

ऋण खाता (स)
मैसर्स बी एस एन्टरप्राईजेज प्रो. श्री सुशील रावत पुत्र श्री राम गोपाल रावत
गारन्टर
1. श्रीमति राधादेवी रावत पत्नि श्री राम गोपाल रावत
2. श्री राम गोपाल रावत पुत्र श्री सुरज नारायण रावत
3. श्री भरत रावत पुत्र श्री राम गोपाल रावत
4. श्री अंकुश रावत पुत्र श्री राम गोपाल रावत

समस्त का पता:– सी 12 खादी भण्डार रोड., सुन्दर दास मार्ग, दौसा (राज.) 303303।

अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री गौरव जैन, अधिवक्ता प्रार्थी बैंक।

<u>आदेश</u> दिनांकः 11.08.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सिंडिकेट बैंक शाखा दौसा ने अप्रार्थीगण/ऋणीगण ऋण खाता (अ) मैसर्स सूरज ऑयल प्रो. श्रीमति राधादेवी रावत पत्नि श्री राम गोपाल रावत को 20,00,000/(रूपये बीस लाख), ऋण खाता (ब) मैसर्स एस आर इण्डस्ट्रीज प्रो. श्री भरत रावत पुत्र श्री राम गोपाल रावत को 10,00,000/(रूपये दस लाख) एवं ऋण खाता (स) मैसर्स बी एस एन्टरप्राईजेज प्रो. श्री सुशील रावत पुत्र श्री राम गोपाल रावत को 20,00,000/(रूपये बीस लाख) इस प्रकार तीनों खातों मे कुल रूपये 50,00,000/(रूपये पचास लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणीगण द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी सिंडिकेट बैंक शाखा दौसा को सुना गया। हमने प्रार्थी सिंडिकेट बैंक शाखा दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी सिंडिकेट बैंक शाखा दौसा को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकितानुसार बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति श्रीमति राधादेवी रावत पत्नि श्री राम गोपाल रावत के नाम सम्पत्ति प्लॉट नं. 12 खादी भण्डार रोड., दौसा जिला दौसा क्षेत्रफल 1250 वर्गफीट, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी सिंडिकेट बैंक शाखा दौसा को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 11 अगस्त 2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा